राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(10)राज-6/99/9 जयपुर, दिनांक:- 15 फरवरी, 2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xi-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजसव (कृषि भूमि का कृषीतर भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (i) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषीतर भूमि में संपरिवर्तन) (संशोधन) नियम, 2001 है ।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषीतर भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के राजस्व विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव, राजस्व